

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 21.06.2012

- आदेश -

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी धरुय श्रेणी की दरिबता/पात्रतानुसार उनके नाम के सामने अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	दरिबता संख्या
1.	श्री नीरज कुमार माधुर अनुदेशक आई.टी.आई. बनीपार्क, जयपुर	4/91 गौधीनगर (4/95 गौधीनगर के स्थान पर)	31.12.2033	201/08
2.	श्री नंदकिशोर कुमावत लेब टेकनिशियन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/67 गौधीनगर	31.1.2038	85/09
3.	श्री बृजमोहन धवन कनिष्ठ लिपिक कार्यालय पुलिस अधीक्षक(एसओजी) जयपुर	4/28 गौधीनगर	30.6.2033	93/09
4.	श्री रामकुमार बोराना टी.आर.ए. तहसील आमेर, जयपुर	4/114 गौधीनगर	30.6.2030	95/09
5.	श्रीमती सुनीता शर्मा कनिष्ठ लिपिक राज. राज्य विधिक सेवा प्राधीकरण जयपुर	4/95 गौधीनगर	31.8.2033	98/09
6.	श्रीमती संतोष कासनिया क० विपणन अधिकारी कृषि विपणन विभाग, जयपुर	4/97 गौधीनगर	31.8.2041	100/09
7.	श्री ओटा राम चौधरी स.सू. एवं ज. स. अधिकारी निदेशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर	4/99 गौधीनगर	31.3.2040	101/09

Ok (wch)

A

10-7-12

2/11/12
11/10/12
2/11/12

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जावेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अन्वयण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पर्यन्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पर्यन्त आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/पत्नी के नाम से परस्थापन स्थान पर किसी आवास बन जाने / बन करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)/ए के अनुसारण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पर्यन्त उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुप्रेष हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जावेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का धन करावे।

8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाही अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पतिन व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कम नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनमूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा/कृषि विपणन/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षक, आई.टी.आई., बनीपार्क, जयपुर।
4. अधीक्षक, सवाई मान सिंह विद्यालय, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जयपुर।
6. तहसीलदार, जमेर, जयपुर।
7. सदस्य सचिव, राज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. कृषि अधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकीय प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने का धन करावे।
10. अधिशाही अभियन्ता, साठनि0वि0/जन स्वा0 अपि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गौधीनगर, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गौधी गौधीनगर, जयपुर।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
13. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव